

पत्रांक-7/विधि-181/2024 397

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक

अजय सतीश भेंगरा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- पटना दिनांक :- 24/03/2026
वित्तीय वर्ष 2025-26 में Innovatiview India Limited कंपनी द्वारा BPSC TRE-3 के विद्यालय अध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग के दौरान Biometric Verification (Digital Fingerprint Capturing & Facial Recognition) पर किये गये कार्यान्वयन हेतु कुल 61,08,193/- (इकसठ लाख आठ हजार एक सौ तिरानवे) मात्र राशि का भुगतान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE-3 के विद्यालय अध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक पद के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (Digital Fingerprint Capturing & Facial Recognition) पर किये गये कार्यान्वयन हेतु रू० 64.90 (सभी कर सहित) प्रति अभ्यर्थी की दर से निर्धारित किया गया है। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा सफल घोषित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन Innovatiview India Limited कंपनी से कराया गया है।

2. Innovatiview India Limited कंपनी द्वारा सभी जिलों में बी०पी०एस०सी के TRE-3 द्वारा विद्यालय अध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, NIOS D.el.ed and 82 marks CTET के बायोमेट्रिक सत्यापन के कार्यान्वयन के उपरांत कुल 61,08,193/- (इकसठ लाख आठ हजार एक सौ तिरानवे) मात्र राशि के स्वीकृति एवं विमुक्ति का प्रस्ताव है।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में Innovatiview India Limited कंपनी द्वारा सभी जिलों के TRE-3 के विद्यालय अध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के Biometric Verification कार्यान्वयन हेतु कुल 61,08,193/- (इकसठ लाख आठ हजार एक सौ तिरानवे) मात्र राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उक्त स्वीकृत राशि के आय-व्यय का विकलन माँग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-001 निदेशक और प्रशासन 0001- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का कार्यालय व्यय विपत्र कोड-21-2202010010001, विषय शीर्ष-0001-2804- व्यवसायिक एवं कला तकनीकी सेवा के अन्तर्गत उपबन्धित राशि से किया जायेगा।

5. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

6. राशि का आवंटन CFMS के माध्यम से बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड-2011 के नियम 190 के अनुसार बी०टी०सी० फॉर्म 25 पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु चयनित प्राधिकृत कंपनी द्वारा समर्पित विपत्र का सत्यापन पूर्णतः प्रमाणिकृत अभिश्रव विपत्र के साथ विधिवत संलग्न करते हुए कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना कोषागार से किया जायेगा तथा स्वीकृत राशि कंपनी के संबंधित खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत राशि का भुगतान निम्न प्रकार से की जाएगी:-

Sl. No	Budget Code/Budget Head	Firm Name	A/c. Name	Account Number/IFSC Code	Gross Amount	Taxable Amount	2% GST	2% ITDS	NET Amount
01	21-2202010010001/2804	Innovative India Ltd.	Innovative India Ltd.	50200069058753 HDFC0001349	61,08,193	51,76,435	1,03,529	1,03,529	59,01,135

8. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्संबंधी संकल्प, परिपत्रों तथा अन्य पत्रों में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-7/विविध-181/2024 के पृष्ठ-56-57/टि० पर दिनांक-12.03.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०/-)

(अजय सतीश भेंगरा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/विविध-181/2024/

पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०/-)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/विविध-181/2024/

पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि- वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह०/-)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-7/विविध-181/2024 397...../

पटना, दिनांक-24/03/2026

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (प्रा०शिक्षा)/अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-05, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, (दो प्रतियों में) एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव